

राज्य स्कीम तथा केन्द्रांश की राशि

3/यो0-27/2017(खण्ड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०)

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:-

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के विभिन्न अवयवों हेतु सम्बल योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद के सामान्य घटक में ₹0 99.00 लाख (निन्यानवे लाख), विशेष घटक में ₹0 66.00 लाख (छासठ लाख) तथा सीपडा योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 594.00 लाख (पांच करोड़ चौरानवे लाख) तथा मांग संख्या-03 अन्तर्गत 66.00 लाख (छासठ लाख) यानी कुल 825.00 लाख (आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5722 दिनांक-27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र के सभी योजनाओं के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने तथा समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र-योजना कियान्वित किया गया है। वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) राज्य योजना मद के सामान्य घटक में ₹0 99.00 लाख (निन्यानवे लाख), विशेष घटक में ₹0 66.00 लाख (छासठ लाख) तथा सीपडा योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 594.00 लाख (पांच करोड़ चौरानवे लाख) तथा मांग संख्या 03 अन्तर्गत 66.00 लाख (छासठ लाख) यानी कुल 825.00 लाख (आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

						(राशि लाख में)
क्र	योजना का नाम एवं	PFMS कोड	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	स्वीकृत राशि
केन्द्रीय स्कीम की राशि						
1	सीपडा	0970	0223-27-01	51-2235021010223	1800.00	594.00
			0224-27-01	03-2235021010224	200.00	66.00
		योग (छः करोड़ साठ लाख) मात्र				2000.00
राज्य स्कीम की राशि						
2	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल)		0119-31-06	51-2235021010119	300.00	99.00
			0111-31-06	51-2235027890111	200.00	66.00
योग (एक करोड़ पैसठ लाख) मात्र					500.00	165.00
कुल योग (आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र					2500.00	825.00

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर सक्षम (State Society for Ultra Poor and Social Welfare - SSUPSW) पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उनके खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। सक्षम द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार जिलों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि० दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि० दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि० दिनांक 28.02.18, 256/वि० दिनांक 26.03.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-27/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 21/टि० पर दिनांक 03.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-27/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 21/टि० पर दिनांक 04.04.2019 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०).

जापांक- 3/यो०-27/2017(खंड)

/...../दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु०).

जापांक- 3/यो०-27/2017(खंड)

19

/...../दिनांक- 8.4.19

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०).